

CENTRAL RAILWAY



Headquarters' Office,
Personnel Branch,
CST Mumbai.

No. HPB/706/R/BD/Stenos/Re-engage,

Date: 13.01.2015

NOTIFICATION

Sub: Re-engagement of Retired Stenographers on Central Railway.

It has been decided to re-engage the Stenographers, who have retired from Railway service. The retired Stenographers will be engaged in recruitment grade i.e. PB-1, Rs.5200-20200+G.P.Rs.2400/- at the remuneration of Rs. 320/- per day, in following Headquarters Offices of Central Railway, The vacancies are as under:

SR. NO.	OFFICE/DEPTT.	VACANCIES
1	GM POOL	06
2	MECH POOL	05
3	ENGG POOL	01
4	OPTG POOL	01
5	ELECT POOL	02
6	STORES	01
7	FA&CAO	01
	TOTAL	17

Terms and conditions:-

1. The Scheme is valid up to 14.9.2015
2. Stenographers retired from Railway service can only apply,
3. The re-engagement shall be strictly upto the age of 62 years on or before 14.9.2015, or till the availability of regular candidates from RRB / Deptt. Selection, whichever is earlier.
4. He / She should be born on or before 31.8.1955 and maximum upper-age limit for re-engagement is 62 years. No re-engaged Steno will continue in service beyond 62 years of age under any circumstances.
5. The Administration is at liberty to terminate the services of the re-engaged employees even before 14.9.2015, in case their work/conduct is found unsatisfactory.

6. The employees Removed/Dismissed/Compulsory retired as a result of disciplinary action or in review are not eligible for re-engagement,
7. The re-engaged employees are entitled only for daily fixed remuneration i.e. Rs. **320/- per day**, which shall be applicable to the Grade Pay of the post against which re-engaged, i. e. Stenographer-III, PB-1, Rs.5200-20200+ GP Rs. 2400/-.
The re-engaged employees are not entitled for any other benefits or facilities except the daily fixed remuneration.
The daily allowances plus full pension shall not exceed the last pay drawn,
8. The retired employee shall execute an agreement to abide by all the terms and conditions of the re-engagement.
9. Re-engagement shall be subject to their prescribed medical fitness for the category, i.e. Stenographer-III,
10. Suitability/competency of the applicant shall be adjudged by nominated committee before their re- engagement,
11. The duty hours of the re-engaged employee would be the same as applicable to the post i.e. Stenographer-III, against which he/she is re-engaged,
12. Copy of the following documents should be attached with the application:
 - a. Service Certificate
 - b. Pensioner Identity Card
 - c. Pension Payment order
13. The last date for submission of the application is 30.01.2015. Stenographers retired from Railways & desirous of re-engagement, should submit their applications in the prescribed format at **Annexure-A** to the concerned Authorities before the last date mentioned above,
14. Application should be dropped in the box kept in CPO's Office, CSTM from 15.01.2015 to 30.01.2015 for the purpose of receiving the same.

DA: As above.

(Sopan G. Badhe)
APO (Admn.)
For General Manager (P)

ANNEXURE-A

**Application for re-engagement in Central Railway
(Notification No. _____)**

To
**Chief Personnel Officer (Admn.),
Headquarters' Office,
CENTRAL RAILWAY,
C. S. T. Mumbai-400 001.**

Affix recent passport size colour photograph with signature across the photograph
--

I hereby apply for re-engagement for the post of Stenographer-III, Pay Band-1, Rs.5200-20200 + Grade Pay Rs.2400/- in Central Railway, on daily remuneration basis, on terms and conditions mentioned in the said Notification. My service particulars are as below:-

1. Name
:.....
2. Designation at the time of retirement :
3. Division/Unit/Department from where retired :
4. Choice of Office : (1).....(2).....(3).....
5. Date of Birth :/...../.....
6. Date of Retirement :/...../.....
7. Retirement or other than normal retirement :
8. Address for correspondence :
:
:
9. Tel. No..... Mobile No.....Email ID
- 10 Last Pay Drawn - Pay Band Rs :(Substantive)
- 11.PPO No.....Date
12. Enclosure (copy of any one of the documents).....
[(a) Service Certificate (b) Pension Identity Card (c) Pension Payment Order]

I declare that the information furnished above is true to the best of my knowledge and I am liable for punitive action if found false/incorrect. I also declare that I have gone through the terms and conditions stipulated in the Notification and I shall abide by them. I have not retired under SRRS/LARSGESS.

Place:
Date:

Signature of the Applicant
Name:-

मध्य रेल

कार्मिक शाखा
मुंबई छशिट

संख्या : एचपीबी/706/आर/बीडी/स्टेनो/पुनर्नियुक्ति

दिनांक 13/01/2015

अधिसूचना

विषय :- मध्य रेल पर सेवानिवृत्त आशुलिपिकों की पुनर्नियुक्ति ।

रेल सेवा में सेवानिवृत्त हो चुके आशुलिपिकों की पुनर्नियुक्ति करने पर विनिश्चय किया गया है । सेवानिवृत्त आशुलिपिकों की भर्ती ग्रेड अर्थात् पे बेंड -1 रू. 5200-20200/-+ ग्रेड रू. 2400/- में प्रतिदिन रू. 320/- के पारिश्रमिक पर मध्य रेल के निम्नलिखित प्रधान कार्यालयों में नियुक्त किया जाएगा । रिक्तियां इस प्रकार हैं :-

क्र.	कार्यालय	रिक्तियां
1	महाप्रबंधक पुल	06
2	यांत्रिक पुल	05
3	इंजीनियरी पुल	01
4	परिचालन पुल	01
5	विद्युत पुल	02
6	भंडार	01
7	वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	01
	कुल	17

निबंध एवं शर्तें :-

1. यह योजना दिनांक 14.09.2015 तक विधिमान्य है ।
2. केवल रेल सेव से सेवानिवृत्त हो चुके आशुलिपिक ही आवेदन कर सकते हैं ।
3. यह पुनर्नियुक्ति दिनांक 14.09.2015 को या उससे पूर्व 62 वर्ष की आयु तक या आरआरबी/विभागीय चयन से नियमित अभ्यर्थियों की उपलब्धता तक, जो भी पहले हो, ही की जाएगी ।
4. उम्मीदवार की जन्मतिथि दिनांक 31.08.1955 या उससे पूर्व होनी चाहिए तथा पुनर्नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है।
5. कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के पश्चात उनका कार्य/आचरण असंतोषजनक पाए जाने पर दिनांक 14.09.2015 से पहले उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए प्रशासन स्वतंत्र है।
6. अनुशासनिक कार्रवाई के फलस्वरूप या पुनरीक्षण में रेल सेवा से हटाए गए/ निष्काकित/ अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी पुनर्नियुक्त के लिए पात्र नहीं हैं।

7. पुनर्नियुक्त कर्मचारी केवल दैनिक निर्धारित पारिश्रमिक अर्थात् रू. 320/- प्रतिदिन जो उस पद जिसके लिए पुनर्नियुक्ति की गई है अर्थात् आशुलिपिक III पे बैंड 1, रू. 5200-20200+ग्रेड पे रू. 2400/- के ग्रेड पे के लिए लागू होगा, के हकदार होंगे। पुनर्नियुक्त कर्मचारी दैनिक निर्धारित पारिश्रमिक के अलावा अन्य कोई भी लाभ या सुविधाएं पाने के हकदार नहीं है।
दैनिक भत्ते+पूर्ण पेंशन की राशि आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक करार निष्पदित कर पुनर्नियुक्ति के सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन करना होगा।
9. पुनर्नियुक्ति संबंधित कैटेगरी अर्थात् आशुलिपिक III के लिए उनकी निर्धारित चिकित्सा क्षमता के अधीन होगी।
10. आवेदक की उपयुक्तता/सक्षमता का निर्णय उनकी पुनर्नियुक्ति से पूर्व किया जाएगा।
11. पुनर्नियुक्ति कर्मचारी के कार्य की अवधि वहीं होगी जो आशुलिपिक III जिसके बदले उसे पुनर्नियुक्त किया गया है, के पद के लिए लागू है।
12. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां नत्थी की जाए :-
 - (क) सेवा प्रमाण पत्र
 - (ख) पेंशनभोगी पहचान पत्र
 - (ग) पेंशन भुगतान आदेश
13. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30.01.2015 है। रेल सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके तथा पुनर्नियुक्त के इच्छुक आशुलिपिक को परिशिष्ट 'क' में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन संबंधित प्राधिकारियों के पास उपरोल्लिखित अंतिम तिथि से पूर्व जमा करना चाहिए।
14. आवेदन मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय, मुंबई छशिट में रखे गए बाक्स में डाले जाएं इसकि अवधी 15/01/2015 से 30/01/2015 तक है।

संलग्न : यथोपरि

(सोपन जी. बढे)
सहायक कार्मिक अधिकारी (प्रशासन)
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक) मुंबई छशिट

मध्य रेल में पुनःनियुक्ति के लिए आवेदन
(अधिसूचना नंबर -----)

प्रति,
मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन)
मुख्यालय,
मध्य रेल
सीएसटी, मुंबई- 400 001

पासपोर्ट आकार का
कलर फोटो लगाएं
और फोटो पर
हस्ताक्षर करें ।

मैं मध्य रेल में आशुलिपिक III पे बैंड -1 रु. 5200-20200/-+ ग्रेड रु. 2400/- में दैनिक पारिश्रमिक तथा अधिसूचना में उल्लिखित विनियमों और शर्तों पर पुनःनियुक्ति के लिए एतद्वारा आवेदन प्रस्तुत करता हूँ । मेरा सेवा विवरण इस प्रकार है :-

- 1 नाम : -----
- 2 सेवानिवृत्त के समय पदनाम : -----
- 3 मंडल/यूनिट/विभाग जहां से सेवानिवृत्त हुआ : -----
- 4 कार्यालय का विकल्प : -----
- 5 जन्म तिथि : -----
- 6 सेवानिवृत्ति की तारीख : -----
- 7 सेवानिवृत्ति या सामान्य सेवा निवृत्ति के अलावा : -----
- 8 पत्राचार के लिए पता :

9. टेलीफोन नंबर ----- मोबाइल नंबर ----- ई-मेल आइडी-----
- 10 अंतिम वेतन ----- पे बैंड रु. ----- ग्रेड पे (मूल)-----
11. पीपीओ नंबर ----- दिनांक -----
12. संलग्न (निम्नलिखित में कोई एक दस्तावेज संलग्न करें)
(क) सेवा प्रमाण पत्र (ख) पेंशन पहचान पत्र (ग) पेंशन भुगतान आदेश

मैं घोषित करता हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और यदि असत्य/गलत पाए जाने पर मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी रहूंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि अधिसूचना में दी गई शर्तों को पढ़ लिया है और इनका पूरा पालन करूंगा । मैं एसआरआरएस / एलएआरएसजीईएसएस के तहत सेवानिवृत्त नहीं हुआ हूँ ।

स्थान:
दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर :